विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार-निष्पादन वर्ष -2013
VISHWAKARMA RASHTRIYA PURASKAR
Performance Year – 2013
निर्देश पत्र
INSTRUCTION SHEET

I उद्देश्यः

विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (वी.आर.पी.) का उद्देश्य उनके कामगारों या समूहों को मान्यता देना है, जो कारखाना अधिनियम 1948, गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन तथा भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोज़गार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आते हैं तथा जहां उनके सुझाव से उत्पादकता, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण और कार्य परिस्थितियों तथा उत्पाद की गुणवत्ता एवं सुरक्षा में सुधार होता है।

I OBJECTIVE:

The objective of the **Vishwakarma Rashtriya Puraskar (V.R.P.)** is to recognize the outstanding contributions made by a worker or a group of workers in an organization covered under the Factories Act, 1948, The Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986, The Building & other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 and Installations under the Atomic Energy Regulatory Board (AERB), through his/her/their contributions to improve productivity, occupational safety & health, environment and working conditions as well as quality & safety of product.

II. कार्यक्षेत्र

1. विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 के लिए निष्पादन वर्ष 2013 (जनवरी से दिसंबर) माना जाएगा अतः केवल 2013 1जनवरी– 31 दिसंबर 2013) में दिए गए कार्यान्वित सुझावों ले आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा।
2. जो संगठन इस योजना में अपना आवेदन पत्र भेजे, उस संगठन में **सुझाव योजना** (आवेदन पत्र में लिखा जाए) क्रियान्वित होनी चाहिए तथा प्रबंधकों द्वारा निष्पादन वर्ष 2013 में सुझाव मूल्यांकित, स्वीकृत, क्रियान्वित एवं **पुरस्कृत** किया गया हो।
3. यह योजना केवल **कामगारों और पर्यवेक्षकों** के लिए है। **प्रबंधक/कार्यपालक** व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकते हैं।
4. कार्यान्वित और पुरस्कृत सुझाव से निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक लाभ हुआ होः-

- उत्पादकता में सुधार, प्रक्रियाओं में दक्षता, प्रणालियों और प्रक्रियाओं, सामग्री रखरखाव, कीमतों में कमी, उत्पादन और सेवाओं की गुणवत्ता, पैकिंग प्रणाली, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण और कार्य परिस्थितियों, या/और संयत्रों/उपकरणों के प्रयोग में सुधार।
- कार्यान्वित सुझावों के परिणामस्वरूप सभी सामग्री में कमी, माल खराब न करना, श्रम की कीमत में कमी, प्रचालन लागत में कमी, भौतिक और मानसिक तनाव में कमी आई हो।
- इन सुझावों के कार्यान्वित होने पर स्वदेशी संयंत्र/मशीनरी/पुर्जों का प्रयोग हुआ हो, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई हो।

II SCOPE

1. Awards Year 2013 is for the Performance Year 2013 i.e. 01 January– 31 December, 2013. Applications containing the suggestion adopted and implemented during 2013 (January-December) will only be considered.
2. The organization applying for the Awards should have the **'SUGGESTION SCHEMES'** in Operation (to be mentioned in the Application) and the suggestion should have been evaluated, Adopted, implemented and **awarded** by the management during the performance year 2013.
3. This Scheme is meant for **Workmen and Supervisory** category only. **Managers/Executives** Cannot apply under the Scheme either individually or jointly.
4. The suggestion implemented & awarded should have resulted in one or more of the following :

- Improvement in Productivity & Efficiency of processes, systems and procedure etc. in the area of material handling, cost reduction, quality of products & services, safety & health, environment and working conditions and utilization of plant & equipment.
- Reduction of raw materials and fuel/power, control of waste, labour cost, operational cost, physical & mental stress and also in other form of wastages.
- Indigenisation of plant/machinery/components resulting in saving of foreign exchange.

III. **पुरस्कार समिति**

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **त्रिपक्षीय पुरस्कार समिति** का गठन किया जाता है।, जिसमें कर्मचारी, नियोक्ता और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस समिति का उद्देश्य श्रेणी "क', श्रेणी "ख', और श्रेणी "ग', के पुरस्कारों का निर्णय करना है। इन तीन वर्गों के अंतर्गत कुल 28 पुरस्कार हैं। श्रेणी "क' में पुरस्कारों की संख्या 05 है, प्रत्येक को 75,000/-रू, श्रेणी "ख' में पुरस्कारों की संख्या 08 है, प्रत्येक को 50,000/-रू और श्रेणी "ग' में पुरस्कारों की संख्या 15 है, प्रत्येक को 25,000/-रू दिये जाते हैं। नकद पुरस्कार के अतिरिक्त विजेताओं को **प्रशस्ति पत्र** भी दिया जाता है।

ऊपर दिए गए विजेताओं की संख्या प्रत्येक श्रेणी में कम भी हो सकती है। यह पुरस्कार समिति सदस्यों के निर्णय पर निर्भर होगा। पुरस्कार समिति /सरकार का निर्णय अंतिम होगा। **<u>भारत सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विजेता के सुझाव को, यदि आवश्यक समझे, तो अन्य संगठनों के हित में प्रकाशित कर सकती है।</u>**

IV. **Awards Committee**

Ministry of Labour & Employment, Government of India constitutes a **Tripartite Awards Committee** having employees, employers and Government representatives for the purpose of evaluation to adjudge the winners for the Class 'A', Class 'B' & Class 'C' Awards. There are a total 28 prizes under 3 classes. The number of prizes for Class 'A' is 5, each amounting to Rs.75,000/-; for Class 'B' is 8, each of Rs.50,000/-; and for Class 'C' is 15, each of Rs.25,000/-;. In addition to cash prizes, the winner is also awarded a **Certificate of Appreciation.**

Number of winners in any Class may be less than the numbers given above depending upon the judgement of the Awards Committee Members. The decision of the Awards Committee/Government will be final. **<u>The Government of India will have the right to publish the contents of winning suggestions for the benefit of other organizations, if needed</u>.**

V. **आवेदन पत्र प्रस्तुत करना**

1) हरेक आवेदन पत्र के साथ एक ही सुझाव भेंजे। **इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी केवल दस आवेदन ही प्रस्तुत कर सकती है।**
2) अनुलग्नकों/दस्तावेज और प्रविष्ट शुल्क के रूप में **"सचिव, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार समिति'** के नाम से, मुंबई के किसी अनुसूचित बैंक में देय 200/-रू के डिमांड ड्राफ्ट के साथ विधिवत् भरा हुआ आवेदन पत्र निम्न पते पर अंतिम तारीख़. **<u>15.10.2014</u>** तक या उससे पहले भेज देः

सचिव
राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समिति
कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय
क्षेत्रीय श्रम संस्थान,
सेक्टर - 47, फरीदाबाद
हरियाणा - 121010.
टेलीफोन – 0129-2468022, 0129-2468215
फेक्स - 0129-2468219.

3) किसी भी प्रकार के अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। सभी आवेदन पत्रों के साथ "**सुझाव सारांश"** की एक हार्ड कॉपी तथा एक सी.डी, आवेदन पत्र के भग -II के अनुसार एवं संबंधित ड्राइंग / फोटो, वित्तीय लाभ, गणनाओं आदि सहित होनी चाहिए।
4) आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क के लिए कोई रसीद नहीं दी जाएगी।

IV. **Submission of application form**

1) Each Application form is to be accompanied by only one suggestion. **A company can submit only ten applications under this scheme.**
2) Duly filled in Application Form with all the supporting enclosures/documents and entry fee by way of demand draft for Rs.200/- drawn in favour of **'Secretary, Vishwakarma Rashtriya Puraskar Committee'** on a scheduled Bank of Mumbai should be sent on or before the closing date **<u>(15.10.2014)</u>** to:
THE SECRETARY
VISHWAKARMA RASHTRIYA PURASKAR COMMITTEE
DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE & LABOUR INSTITUTES,
REGIONAL LABOUR INSTITUTE CAMPUS,
SECOR-47, FARIDABAD,
HARYANA-121010.
Telephone: 0129-2468022, 0129-2468215.
Fax: 0129-2468219.
3) Incomplete Application Form (suggestion summary or personal details) in any manner is liable to be rejected. All Applications must accompany with **<u>one hard copy and one CD(MS-Word only) of the 'Brief Summary of the Suggestion'</u>** under different headings shown in Part-II of the Application Form and other necessary Drawings/Photos, Financial Gains, Calculations etc.
4) Application fees once paid cannot be refunded. No receipt will be issued for the application fees.

V. यह आवेदनपत्र डीजीफासली की वेबसाइट **<u>www.dgfasli.nic.in</u>** पर भी उपलब्ध है।

this application form is also available on the website of DGFASLI. **<u>www.dgfasli.nic.in</u>**